

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में, ₹ 1,746.01 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अन्/कम उद्ग्रहण से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 18 अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

अध्याय 1, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के वित्त लेखाओं तथा राज्य बजट की लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार की वर्ष 2011–12 की कुल राजस्व प्राप्तियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व में कर तथा कर-भिन्न राजस्व शामिल है।

- वर्ष 2011–12 हेतु राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 30,557.59 करोड़ थी। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व ₹ 20,399.46 करोड़ के कर राजस्व तथा ₹ 4,721.65 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व से समायुक्त, ₹ 25,121.11 करोड़ था। राज्य सरकार ने विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 2,681.55 करोड़ तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों के रूप में ₹ 2,754.93 करोड़ भी प्राप्त किए। गत वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,993.91 करोड़ (20 प्रतिशत) तक वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों में वृद्धि के कारण थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

- वर्ष 2011–12 के दौरान, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की, की गई नमूना-जांच ने 9,130 प्रकरणों में कुल ₹ 2,866.67 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि प्रकट किए। वर्ष 2011–12 के दौरान विभागों ने 6,619 प्रकरणों में ₹ 1,765.33 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने 190 प्रकरणों में ₹ 2.67 करोड़ वसूल किए।

(अनुच्छेद 1.1.1.)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2003 में राज्य में विद्यमान सामान्य बिक्री कर अधिनियम के स्थान पर मूल्य वर्धित कर (वैट) पर आधारित कराधान संरचना का सूत्रपात करने का निर्णय लिया। वैट के कार्यान्वयन के उद्देश्यों के साथ-साथ कर संरचना सरल तथा अधिक पारदर्शी करके आम जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा सरकार की भी सहायता करनी थी। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संवीक्षा/लेखापरीक्षा के अध्यधीन निर्धारण प्राधिकारी (एए.) द्वारा वार्षिक

वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

निर्धारण की विद्यमान प्रणाली को डीलरों द्वारा स्वनिर्धारण की प्रणाली द्वारा संशोधित प्रणाली में बदला गया। हमने संपूर्ण राज्य में वैट अधिनियमों तथा नियमों में आयोजना, नीति तथा बदलाव प्रक्रिया में कमियां देखी।

इस अध्याय में हम डी.ई.टी.सी.ज के कार्यालय, जहां हमने पाया कि ए.ए.ज द्वारा अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था, में वैट तथा सी.एस.टी. के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना-जांच के द्वारा देखी गई अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 10.99 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरणों तथा ₹ 1,715.02 करोड़ से आवेष्टित निष्पादन लेखापरीक्षा “निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण” के परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग

निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने तथा अंतर्विभागीय डाटाबेस के विनियम की प्रणाली आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अंपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से ₹ 283.88 करोड़ के राजस्व की अवसूली तथा ठेकादाताओं द्वारा ₹ 88.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. की कम कटौती हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.9)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.ज.) द्वारा अपने मार्गनिर्देशों की अनुपालना करवाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1303.16 करोड़ के कर तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.12.1 तथा 2.2.12.2)

- सकल आवर्त से अस्वीकार्य कटौतियों की अनुमति से ₹ 9.17 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12.3 से 2.2.12.6)

- बिक्री के संपादनों का निर्माण ठेके के रूप में गलत वर्गीकरण से ₹ 22.47 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.13)

वैट में अनुपालन कमियां

- अवर्गीकृत मद के संबंध में कर की गलत दर के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ (₹ 3.81 करोड़ के ब्याज सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1)

- कर निर्धारित करने से पूर्व, हरियाणा के भीतर विभागीय प्राधिकारियों से बिक्रियों एवं क्रयों के सम्पादनों की क्रॉस जांच करने में एएज की विफलता के कारण ₹ 1.26 करोड़ (₹ 94.53 लाख के जुर्माने सहित) की राशि के वैट का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.1)

3. अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य आबकारी राजस्व, कर राजस्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मुख्यतः दुकानों के किराए, डिस्टीलरियों, ब्रेवरीज तथा शराब डीलरों को जारी किए गए लाईसेंसों की फीस, शराब पर शुल्क, कर तथा कंपेजिशन फीस, जुर्माने एवं शास्तियां इत्यादि शामिल हैं। राज्य उत्पाद शुल्क संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत किया जाता है। राज्य सरकार, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलयुक्त शराब तथा राज्य में विनिर्मित अथवा उत्पादित अफीम, गांजा एवं नशीली दवाओं पर आबकारी शुल्क और अन्यत्र विनिर्मित तथा राज्य में लाए गए ऐसे माल पर आबकारी शुल्क के बराबर शुल्कों का उद्ग्रहण करती है। उद्ग्रहण, राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है।

इस अध्याय में राज्य उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना-जांच के दौरान अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 4.75 करोड़ के व्याव्यात्मक प्रकरण सम्मिलित हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग

- अनुबंध शर्तों की धारा जोखिम एवं लागत पर बिक्रियों की पुनः नीलामी के पश्चात् सरकार को ₹ 2.67 करोड़ के राजस्व से वचित रखते हुए विभाग ने, रिटेल लिकर आऊटलैट्स के 17 चूककर्ता आबटियों से लाइसेंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।
- वर्ष 2010-11 हेतु 97 लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनुदग्रहण के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष को ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2.1)

- विभाग ने, रिटेल शराब आऊटलैट्स के 10 चूककर्ता लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस वसूल करने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की लाइसेंस फीस तथा ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.3)

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) तथा राज्य के अधिनियमों की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न दस्तावेजों पर उनमें विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाता है। ऐसे शुल्क का भुगतान दस्तावेजों के निष्पादकों द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर मोहर लगाकर अथवा उनपर उचित मूल्य के स्टाम्प चिपकाकर किया जाता है। राज्य सरकारों ने उनमें निहित शक्तियों के सदगुण द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियम बनाए हैं। इन नियमों में स्टाम्प शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण हेतु विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम) तथा उसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम, पंजीकरण फीस के अंतर्गत राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली को बृहद रूप से रेखांकित करते हैं।

इस अध्याय में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना - जांच के दौरान देखी गई अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 4.13 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरण सम्मिलित हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.92 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.1)

- विभाग द्वारा दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.4)

- आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के बिक्री विलेखों पर ₹ 2.22 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण।

(अनुच्छेद 4.2.5)

5. अध्याय – 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन कर तथा यात्री एवं माल कर, उपयोग किए गए अथवा उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटर वाहन पर विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्राहय है। इसी प्रकार, सार्वजनिक सेवा वाहनों के संबंध में निर्धारित दरों पर अतिरिक्त कर मालिक द्वारा भुगतान किया जाना होता है।

इस अध्याय में ₹ 6.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली “यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां” पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.51 लाख से आवेष्टित व्यारव्यात्मक मामला सम्मिलित है।

“यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परि आमस्वरूप 368 मैक्सी कैब/टैक्सी के मामले में ₹ 91.93 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

- मैक्सी कैबस/टैक्सियों के 309 मामलों में ₹ 49.88 लाख की राशि के यात्री कर, ₹ 20.07 लाख के ब्याज के अतिरिक्त शास्ति की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.13.1)

- चार जिलों में सहकारी समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों के मामले में ₹ 17.08 लाख की राशि के यात्री कर तथा ₹ 2.71 लाख के ब्याज की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.13.2)

- 10 डी.ई.टी.सीज कार्यालयों में 2,630 मामलों में ₹ 3.15 करोड़ की राशि के माल कर तथा ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.14)

- 560 कर निर्धारित मामलों में से 81 मामलों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.28 लाख के यात्री कर की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.15)

परिवहन विभाग

- वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 हेतु ₹ 33.51 लाख का बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था और न ही 20 परिवहन सहकारी समितियों के मालिकों से पांच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया था।

(अनुच्छेद 5.3.1)

6. अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां

इस अध्याय में खनन विभाग, जहां ₹ 3.84 करोड़ की राशि का बोली धन तथा ब्याज वसूल नहीं किया गया था, से संबंधित व्याख्यात्मक मामला सम्मिलित है।

खदान एवं भू – विज्ञान विभाग

- विभाग, ठेकेदारों से शेष बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80.10 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.84 करोड़ के बोली धन की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.2.1)